



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 ई० (कार्तिक 03, 1947 शक संवत्) [संख्या 43

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	547—552	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1051—1056	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1655-1690	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

27 जनवरी, 2025 ई0

उ0प्र0, मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संशोधित मार्ग-निर्देश

सं0 3/2025/138/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021—उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 को युक्तियुक्त संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश, मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

शासनादेश प्रस्तर संख्या	पूर्व व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2	3
2(4) (क)	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में अवसंचरनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है।	मत्स्य पालक/मछुआ बाहुल्य बस्ती व गलियारों में अवसंचरनात्मक सुविधाओं की स्थापना, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर, स्ट्रीट लाइट तथा अत्यन्त अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है।
2(21) (अ)	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण भी सम्मिलित है—	मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य बस्ती व गलियारों में ऐसी अवसंचरनात्मक सुविधाओं, जिसमें सामुदायिक भवन का निर्माण, सोलर, स्ट्रीट लाइट अत्यन्त अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना भी सम्मिलित है—
1—पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दिनांक 29 जून, 2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी0सी0, दिनांक 22 जुलाई, 2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु0 18.03 लाख निर्धारित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंचरनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा।		1—पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020, दिनांक 29 जून, 2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी0सी0, दिनांक 22 जुलाई, 2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु0 18.03 लाख निर्धारित करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है। मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआरा बाहुल्य बस्ती व गलियारों में सार्वजनिक उपयोग हेतु अवसंचरनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

1

2

3

चयन प्रक्रिया—

अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुये ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफ-लाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुये संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्ता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुये संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था—

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

निर्माण लागत—

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन/सौर उर्जा संयंत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

चयन प्रक्रिया—

अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुये ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव आफ-लाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुये संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्ता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुये संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था—

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

निर्माण लागत—

अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर-अनुसूची के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन/सौर उर्जा संयंत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

1

2

3

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहित कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं/सामुदायिक भवन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। मत्स्य पालक/मछुआरों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे-कार्यशाला, गोष्ठी, वैवाहित कार्यक्रम आदि हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित किया जायेगा।

2-सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यन्त अपरिहार्यता के स्थिति में हाई मास्ट लाइट की स्थापना (1) सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यन्त अपरिहार्य स्थिति में हाईमास्ट लाइट की स्थापना का कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0 नेडा) द्वारा निर्धारित मानक एवं आगणन के अनुसार जिसकी काम्प्रीहेन्सिव वारंटी अवधि न्यूनतम 05 वर्ष हो, के अनुसार स्थापित कराया जायेगा।

i-(ii) आगणन की धनराशि समय-समय पर यूपी नेडा द्वारा संशोधित अनुमोदित आगणन के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

ii-(iii) इसकी स्थापना निम्न शर्तों के अनुसार की जायेगी।

(क) मछुआ बाहुल्य ग्राम चयन हेतु पात्र होंगे।

(ख) प्रकाश व्यवस्था हेतु पूर्व से किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट/सोलर लाइट स्थापित न हों।

(ग) ग्राम के चयन हेतु ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में ग्राम की उपयुक्ता एवं सोलर लाइट की उपयोगिता का उल्लेख करते हुये औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त ऑफलाइन माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अत्यन्त अपरिहार्य स्थिति में हाई मास्ट लाइट स्थापना हेतु चयनित ग्राम का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

1

2

3

(4) स्थापना के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा, जिसका देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था—

कार्यदायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

2(21) (स) पात्रता—

चिकित्सा
सहायता

मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित न हो।

पात्रता—

मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग द्वारा संचालित कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना, स्वास्थ्य विभाग अन्य किसी विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि आदि द्वारा चिकित्सा सहायता से आच्छादित न हो। आवेदक सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (एस0ई0सी0सी0 2011) में निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार पात्र हों एवं आयुष्मान कार्ड धारक न हो।

देय हित लाभ—

1—सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा निजी चिकित्सालयों में राज्य के अन्दर उपचार कराने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) लखनऊ की दर पर एवं राज्य के बाहर उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।

2—चिकित्सा/शल्य क्रिया में चिकित्सालय द्वारा उपचार का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

देय हित लाभ—

1—सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा निजी चिकित्सालयों में राज्य के अन्दर उपचार कराने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) लखनऊ की दर पर एवं राज्य के बाहर उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।

2—चिकित्सा/शल्य क्रिया में चिकित्सालय द्वारा उपचार का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

1	2	3
	3—उपचार सम्बन्धी बिल वाउचर्स का सत्यापन सम्बन्धित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित दरों पर किया जायेगा।	3—उपचार सम्बन्धी बिल वाउचर्स का सत्यापन सम्बन्धित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्तानुसार निर्धारित दरों पर किया जायेगा।
	4—एक परिवार को अधिकतम पांच लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।	4—एक परिवार को अधिकतम पांच लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी।
		5—चिकित्सालय जिसमें लाभार्थी द्वारा उपचार कराया गया हो, वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत स्टेट एजेन्सी कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के द्वारा अधिकृत (Empanelled) सरकारी अथवा निजी चिकित्सालय हो।

4—शासनादेश दिनांक 06.03.2023 द्वारा मार्ग—निर्देश में संशोधन के सम्बन्ध में उक्त नियमावली में अंकित उद्देश्य/शर्तों/मानकों के निर्धारण/संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सम्बन्धित विभाग से कराया जायेगा।

5—यह भी सुनिश्चित किया जाये कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

आज्ञा से,
के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2023 ई०

सं० एस०पी०टी०-गतिसीमा/2023-चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटर यानों/विभिन्न श्रेणी के मोटर यानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति-सीमा को उक्त कारणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम-178 द्वारा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, को नगर निगम क्षेत्र के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति-सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश, मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, प्रभाकर चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-बरेली, नगर निगम बरेली क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्न तालिकानुसार निर्धारित करता हूँ-

क्र० सं०	स्थान (कहां से कहां तक जहां तक गति निर्बंधित रहेगी)	यान का श्रेणी अनुसार निर्बंधित कर निर्धारित गति सीमा (कि०मी०/घण्टा)				
		टू व्हीलर	थ्री व्हीलर	चालक सहित 07 सीटों तक वाले यात्री यान	चालक सहित 08 से 12 सीटों तक वाले यात्री यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 3, 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	चौकी चौराहा से चौपला चौराहा से वाया सिटी सब्जी मण्डी, किला पुल, सत्यप्रकाश पार्क, मिनी बाईपास तक	40	30	40	40	40
2	मिनी बाईपास से वाया कर्मचारी नगर, इज्जतनगर तिराहा तक	40	30	40	40	40
3	इज्जतनगर तिराहा वाया बैरियर नं०-1 से बिलवा तक	50	30	50	50	50
4	किला क्रासिंग से हार्टमैन रोड, इज्जतनगर तिराहा तक	30	30	30	30	30
5	चौपला चौराहा से पटेल चौक, श्यामतगंज चौराहा, इसाईयों की पुलिया, सैटेलाइट ओवर ब्रिज	30	30	30	30	30
6	नकटिया से इनवर्टिस (जीरा प्वाइण्ट) तक	50	30	50	50	50
7	सैटेलाइट तिराहा से वाया बिसलपुर चौराहा, सौ फुटा पूर्वी, बैरियर-2 तक	40	30	40	40	40
8	चौकी चौराहा से गांधी उद्यान श्यामतगंज ओवर ब्रिज ईट पजाया तिराहा, डेलापीर तिराहा, मण्डी गेट से बैरियर-2 तक	40	30	40	40	40
9	चौकी चौराहा से कैण्ट गेट तक	40	30	40	40	40
10	चौकी चौराहा से गांधी उद्यान बियाबान कोठी से मालियों की पुलिया तक	40	30	40	40	40
11	बियावन कोठी से बरेली क्लब, आई० ऑफिस से सर्किट हाउस चौराहा तक	40	30	40	40	40

1	2	3	4	5	6	7
12	चौपला पुल से गन्ना मिल, करगैना तक	40	30	40	40	40
13	चौकी चौराहा से पटेल चौक नवल्टी चौराहा, कुतुबखाना तक	30	30	30	30	30
14	कोढ़ापीर बैरियर धर्मकाण्टा से डेलापीर तिराहा तक	40	30	40	40	40
15	चौकी चौराहा से कार बाजार तिराहा से बरेली कालेज तिराहा, सिकलापुर चौराहा, नवल्टी चौराहा तक	30	30	30	30	30
16	सूद धर्मकाण्टा, मूर्ति नर्सिंग होम चौराहा से ईट पजाया तिराहा तक	40	30	40	40	40
17	बियावान कोठी से मालियों की पुलिया तक	40	30	40	40	40
18	सर्किट हाउस चौराहा से ए0डी0जी0 ऑफिस तक	40	30	40	40	40
19	सर्किट हाउस तिराहा से आई0जी0 ऑफिस से अक्षर विहार तक	40	30	40	40	40
20	चौकी चौराहा से रेलवे स्टेशन तक	40	30	40	40	40
21	चौकी चौराहा से चौपला चौराहा तक	40	30	40	40	40
22	किला क्रसिंग, बड़ा बाजार, कुतुबखाना सूद धर्मकाण्टा, बड़ा बाजार आलम गिरिगंज, शाहदाना	30	30	30	30	30
23	डी0डी0 पुरम गेट से सील चौराहा तक	40	30	40	40	40
24	चौपला चौराहा से माल गोदाम रोड, थाना सुभाषनगर से रेलवे कालोनी तिराहा तक	40	30	40	40	40
25	बरेली कालेज गेट से सिकलापुर चौराहा, नावल्टी चौराहा से खलील तिराहा तक	40	30	40	40	40
26	नगर निगम सीमा के भीतर अन्य सभी मार्ग	40	30	40	40	40

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा—

1—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा व रात्रि में भी चमकें। इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

2—उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—

(क) अग्नि शमन वाहन।

(ख) एम्बुलेंस।

(ग) पुलिस वाहन।

(घ) कानून एवं व्यवस्था बनाये जाने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(ङ) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

प्रभाकर चौधरी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-बरेली।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

30 जुलाई, 2024 ई०

सं० 1603/डी०एल०आर०सी०/2024—शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम-चौगानपुर, परगना व तहसील-डिबाई, जिला-बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, डिबाई द्वारा प्रस्तुत पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 06 जुलाई, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित गाटा संख्या-10 क्षेत्रफल 0.139 हे० में से 0.055 हे० भूमि पुलिस विभाग के निर्वतन पर रखते हुए क्षेत्राधिकारी डिबाई के कार्यालय/आवास निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
बुलन्दशहर	डिबाई	डिबाई	चौगानपुर	10	0.139 हे० में से 0.055 हे०	बंजर	उत्तर प्रदेश, शासन के पुलिस विभाग के निर्वतन पर रखते हुए क्षेत्राधिकारी डिबाई के कार्यालय/आवास निर्माण हेतु

13 अगस्त, 2024 ई0

सं0 1616/डी0एल0आर0सी0/2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी-बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम-औरंगाबाद चांदौक-परगना व तहसील-शिकारपुर, जिला-बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, शिकारपुर द्वारा प्रस्तुत पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 27 जुलाई, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित गाटा संख्या-125/0.092 हे0, गाटा सं0-1256/1.1260 हे0, गाटा सं0-1260घ/0.8220 हे0, गाटा सं0-1269/2.0470 हे0, गाटा सं0-1271ख/1.0260 हे0 कुल 05 किता रकबा 5.1130 हे0 (12.634 एकड़) भूमि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 एवं राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, शासन के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-06/2023/16(1)/एक-1-2023-रा0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 के क्रम में 01 रुपये प्रति एकड़/प्रति वर्ष की दर से सांकेतिक मूल्य अंकन 12.64 रुपये प्रतिवर्ष पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन को अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाती है। उपरोक्त धनराशि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित लेखा शीर्षक (0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों) में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर—							
बुलन्दशहर	शिकारपुर	शिकारपुर	औरंगाबाद चांदौक	1255ग	0.092	बंजर	प्रशासकीय विभाग के रूप में
				1256	1.1260	शोर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0
				1260घ	0.8220	शोर	को 1.00 रुपये प्रति एकड़/प्रति
				1269	2.0470	शोर	वर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर
				1271ख	1.0260	शोर	अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर
योग. .				5.1130			

20 अगस्त, 2024 ई0

सं0 1628/डी0एल0आर0सी0/2024-शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ-6 में उल्लिखित

ग्राम-बिलसूरी परगना व तहसील-सिकन्द्राबाद, जिला-बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी, सिकन्द्राबाद द्वारा प्रस्तुत पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 13 अगस्त, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित गाटा संख्या-33 क्षेत्रफल 1.2140 हे0 (नई परती) व गाटा सं0-38 रकबा 1.6700 हे0 (नई परती) भूमि युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, के निर्वतन पर रखते हुए खेल के मैदान हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
हेक्टेयर—							
बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	बिलसूरी	33	1.2140	नई परती	उत्तर प्रदेश शासन के युवा
				38	1.6700	नई परती	कल्याण विभाग के निर्वतन पर रखते हुए खेल के मैदान हेतु

20 अगस्त, 2024 ई0

सं0 1629/डी0एल0आर0सी0/2024—शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम-गंगागढ़, परगना-पहासू, तहसील-शिकारपुर, जिला-बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, शिकारपुर द्वारा प्रस्तुत पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 23 जनवरी, 2024 के आधार पर अनुसूची में वर्णित गाटा संख्या-248 रकबा 0.1010 हे0 (बंजर) भूमि युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्वतन पर रखते हुए खेल के मैदान हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
बुलन्दशहर	शिकारपुर	पहासू	गंगागढ़	248	0.1010 हेक्टेयर	बंजर	उत्तर प्रदेश शासन के युवा कल्याण विभाग के निर्वतन पर रखते हुए खेल के मैदान हेतु

चन्द्र प्रकाश सिंह,
जिलाधिकारी-बुलन्दशहर।

पी0एस0यू0पी0-30 हिन्दी गजट-भाग 1-क-2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्

(उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन)

सूचना

08 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 1122/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-(पत्रावली-02)-जनपद चित्रकूट की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद चित्रकूट में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, चित्रकूट प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है-

पूर्व दिशा-मौजा ग्राम गोबरिया व तहसील-कर्वी, जिला-चित्रकूट के खसरा सं०-07, 10, 15 एवं मौजा ग्राम रानीपुर भट्ट व तहसील-कर्वी, जिला- चित्रकूट के खसरा सं०- 258, 257, 256

पश्चिम दिशा-मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील-कर्वी, जिला-चित्रकूट के खसरा सं०-150, 129, 145, 146, 167, 141, 140, 139

उत्तर दिशा—मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0—151, 152, 153, 157, 160, 159, 196, 203, 202, 201 एवं मौजा ग्राम अहमद गंज व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0—281, 291, 279, 275, 274, 327, 328, 330, 315 (भाग), 333, 334, 378, 380, 381, 382, 369, 370, 368

दक्षिण दिशा—मौजा ग्राम चकलाराज रानी व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0— 170 (भाग), 174 (भाग) 173 (भाग) 176 183(भाग) 182 (भाग) 181 (भाग) 180 (भाग) 227 (भाग) 228 (भाग) 229 (भाग) 219 (भाग) 220 (भाग) 235 237 (भाग), 238 (भाग) एवं मौजा ग्राम अहमद गंज व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0— 300 286 (भाग), 299 (भाग) 287 (भाग) 288(भाग) 298 (भाग) 319 (भाग), 315 (भाग) 311 तथा मौजा ग्राम रानीपुर भट्ट व तहसील—कर्वी, जिला—चित्रकूट के खसरा सं0— 250, 251, 252, 255, 35, 39 यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा। योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू—स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, चित्रकूट एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही—सही अंकित होना चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awam Evam
Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966)]

NOTICE

September 08, 2025

No. 1122/L.A.C./H.Q.(File No.-02)—The U.P. Awam Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan yojna No.-2, Chitrakoot with a view to solve the acute housing problem of Chitrakoot city.

The Boundary of the Area Comprised in the scheme are as follows:-

East- Village Gobariya, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 07,10,15 and Village Ranipur Bhatt, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 258, 257, 256.

West- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. 150, 129, 145, 146, 167, 141, 140, 139

North- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no. –151, 152, 153, 157, 160, 159, 196, 203, 202, 201 and Village Ahamad Ganj Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 281, 291, 279, 275, 274, 327, 328, 330, 315 (Part), 333, 334, 378, 380, 381, 382, 369, 370, 368

South- Village Chaklaraj Rani, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 170 (Part), 174 (Part), 173 (Part), 176, 183 (Part), 182 (Part), 181(Part), 180 (Part), 227 (Part), 228 (Part), 229 (Part), 219 (Part), 220 (Part), 235, 237 (Part), 238 (Part) and Village Ahamad Ganj Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 300, 286 (Part), 299 (Part), 287 (Part), 288 (Part), 298 (Part), 319 (Part), 315 (Part), 311 and Village Ranipur Bhatt, Tehsil- Karwi, District- Chitrakoot Khasra no.- 250, 251, 252, 255, 35, 39

It is also declared that on the execution of the housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in V value “Betterment Fee” in accordance with provision of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payable by owner of the land or by any person having an intrest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of area Particular of the scheme and detail of land proposed to be acquired may be seen at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, office of the Executive Engineer, Construction Division Bundelkhand-02, Banda or Collectorate Compound Banda on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer Construction Division Bundelkhand-02 Banda or Collectorate Compound Banda by at the date within 30 days form the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette. Correct Name of the Scheme and full Particular of the land/building of the objector with in the scheme and, name of Village, khasra No. area etc. should be clearly mentioned in every objection.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अधीन)

सूचना

16 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 1170/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-(पत्रावली-02)-जनपद बाँदा की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जनपद बाँदा में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-02, बाँदा प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है:-

पूर्व दिशा-मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील-बाँदा, जिला-बाँदा के खसरा सं०-3806, 3815, 3666, 3630(भाग) एवं 3721(भाग)

पश्चिम दिशा-मौजा ग्राम मवई बुर्जुग व तहसील-बाँदा, बाँदा-चिल्ला-कानपुर मार्ग खसरा सं०-3276

उत्तर दिशा—बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वें की सर्विस लेन से लगे खसरो की भूमि का विवरण—मौजा ग्राम मवई बुरुग व तहसील—बाँदा, जिला—बाँदा के खसरा सं०— 4196 (भाग) 4194 (भाग) 3863 (भाग) 3862 (भाग) 3519 (भाग) 3473 (भाग) 3474 (भाग) 3475 (भाग) 3476 (भाग) 3489 (भाग) 3488 (भाग) 3487 (भाग) 3486 (भाग) 3485 (भाग) 3481 (भाग) 3482 (भाग) 3539 (भाग) 3540 (भाग) 3578 (भाग), 3711 (भाग) 3709 (भाग), 3708 (भाग), 3707 (भाग), 3704 (भाग) 3699 (भाग) 3686 (भाग) 3685 (भाग) 3684 (भाग) 3705 (भाग) 3597 (भाग) 3598 (भाग) 3599 (भाग) 3600 (भाग) 3610 (भाग) 3629 (भाग) 3630 (भाग)

दक्षिण दिशा—मौजा ग्राम मवई बुरुग व तहसील—बाँदा, जिला—बाँदा के खसरा सं०— 4215, 4216, 4219, 4221, 4222, 4223, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143—3862 (भाग), 3863 (भाग)

प्रस्तावित योजना से जल निकासी हेतु चयनित नाले तक के खसरों का विवरण—मौजा ग्राम मवई बुरुग व तहसील—बाँदा, जिला—बाँदा के खसरा सं०— 1305(भाग), 1303(भाग), 1339(भाग), 1344(भाग), 1345(भाग), 1346(भाग), 1367(भाग), 1368(भाग), 1301(भाग), 1277(भाग), 1276(भाग), 1270(भाग), 1269(भाग), 1270(भाग), 1269(भाग), 1148(भाग), 1156(भाग), 1155(भाग), 1157(भाग), 1154(भाग), 1208(भाग), 1210(भाग), 1221(भाग), 1220(भाग), 1228(भाग), 1218(भाग), 1219(भाग), 1192(नाला),

यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ़ जायेगा। योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू-स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा, कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बाँदा में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ०प्र० गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड—02, बाँदा एवं कलेक्ट्रेट परिसर, बाँदा में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही—सही अंकित होना चाहिये।

डा० बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Land Acquisition Section]

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awam Evam
Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966)]

NOTICE

September 16, 2025

No. 1170/L.A.C./H.Q.—The U.P. Awam Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan yojna No.-2, Banda with a view to solve the acute housing problem of Banda city.

The Boundary of the Area Comprised in the scheme are as follows:-

East- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda, Khasra no. 3806, 3815, 3666, 3630(Part) and 3721(Part)

West- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, Banda Chilla- Kanpur Road- Khasra No. 3276

North- Land Details of Khasra's sharing boundary with service lane of Bundelkhand Expressway-Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda, Khasra no. – 4196(Part), 4194(Part), 3863(Part), 3862(Part), 3519(Part), 3473(Part), 3474(Part), 3475 (Part), 3476(Part), 3489(Part), 3488(Part), 3487(Part), 3486(Part), 3485(Part), 3481(Part), 3482(Part), 3539(Part), 3540(Part), 3578(Part), 3711(Part)] 3709(Part), 3708(Part), 3707(Part), 3704(Part), 3699(Part), 3686(Part), 3685(Part), 3684(Part), 3705(Part), 3597(Part), 3598(Part), 3599(Part), 3600(Part), 3610(Part), 3629(Part), 3630(Part)

South- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda Khasra no.- 4215, 4216, 4219, 4221, 4222, 4223, 4147, 4146, 4145, 4144, 4143, 3862 (Part), 3863(Part),

Details of all the khasres from the proposed scheme to identified nala for water disposal:- Village Mawai Bujurg, Tehsil- Banda, District-Banda Khasra no.- 1305(Part), 1303(Part), 1339(Part), 1344(Part), 1345(Part), 1346(Part), 1367(Part), 1368(Part), 1301(Part), 1277(Part), 1276(Part), 1270(Part), 1269(Part), 1148(Part), 1156(Part), 1155(Part), 1157(Part), 1154(Part), 1208(Part), 1210(Part), 1221(Part), 1220(Part), 1228(Part), 1218(Part), 1219(Part), 1192(Nala),

It is also declared that on the execution of the Housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in V value "Betterment Fee" in accordance with provision of U.P. Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payable by owner of the land or by any person having an interest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of area Particular of the scheme and detail of land proposed to be acquired may be seen at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow, Office of the Executive Engineer, Construction Division Bundel khand-02, Banda or Collectorate Compound Banda on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objection to the scheme shall be received at Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U.P. Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahtma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer Construction Division Bundelkhand-02 Banda or Collectorate Compound Banda by at the date within 30 days form the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette. Correct Name of the Scheme and full Particular of the land/building of the objector with in the scheme and, name of Village, khasra No. area etc. should be clearly mentioned in every objection.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर पंचायत भीरा, जनपद-लखीमपुर खीरी

30 अगस्त, 2025 ई०

सं० 554/न०प०भीरा/2025-26-उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अंतर्गत नगर पंचायत भीरा जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत "भवन निर्माण उपविधि-2025" प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भीरा के कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत भीरा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2025 में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 11 जून, 2025 व अमर उजाला में दिनांक 12 जून, 2025 में प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2025 के प्रस्ताव संख्या-112 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

भवन निर्माण उपविधि-2025

1— शीर्षक— यह उपविधि नगर पंचायत भीरा, जनपद लखीमपुर खीरी भवन निर्माण उपविधि वर्ष 2025 कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत भीरा खीरी में प्रभावी रहेगी।

3— परिभाषाये— जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

1— अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम संख्या-2 1916 से है।

2— "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत भीरा खीरी के अधिशाली अधिकारी से है।

3— "बोर्ड/समिति" का तात्पर्य नगर पंचायत भीरा खीरी के बोर्ड/समिति से है।

4— "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत भीरा जनपद लखीमपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5— नगर पंचायत का तात्पर्य नगर भीरा, जनपद लखीमपुर खीरी से है।

6— "नगर पंचायत की सीमाओं" का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4— नोटिस— यदि कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत भीरा जनपद लखीमपुर खीरी की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी है और उसे किराये पर देने, विक्रय करने अथवा दान करने का हक रखता है और यदि उस पर नवनिर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन/रेनोवेशन कराना चाहता है तो वह उक्त ऐक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित शुल्क जमा कर फार्म क्रय करके सम्बन्धित फार्म पर अधिशाली अधिकारी को संबोधित करते हुए नगर पंचायत में आवेदन करेगा।

5— प्लान— इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन/रेनोवेशन से सम्बन्धित है, भवन/भू-स्वामी अपना आवेदन अंकन 250.00 आवेदन शुल्क के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करेगा जिसकी वह कार्यालय से रसीद प्राप्त करेगा आवेदक अपने आवेदन के साथ भवन/भू सम्पत्ति स्वामित्व

से सम्बन्धित दस्तावेजों सहित तीन मानचित्र प्रस्तुत करेगा जो ग्राफ पेपर व ब्लू प्रिंट होंगे व तीसरा मानचित्र जो नगर पंचायत में रखा जायेगा वह क्लॉथ पेपर पर होगा।

6— आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी मानचित्र 1 सेमी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढंग से खींचे होने चाहिए जिसमें स्केल मानचित्र पर अंकित हो और उत्तरी रेखा भी मानचित्र पर दर्शानी चाहिए मानचित्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

7— निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त यदि किसी कारण से नगर पंचायत द्वारा भवन का मानचित्र अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति सम्पूर्ण आपत्तियों का निस्तारण कर अस्वीकृति के दिनोंक से एक वर्ष के अन्दर पुनः आवेदन कर सकता है एक वर्ष गुजर जाने के उपरान्त उसे मानचित्र की स्वीकृति के लिए पुनः आवेदन शुल्क की अदायगी करनी होगी।

8— यदि कोई भवन/भू-स्वामी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने वाली सड़क के किनारे अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले मार्ग पर अपने भवन का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन/रेनोवेशन कराने हेतु आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे लोक निर्माण विभाग, खीरी से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी इसके उपरान्त ही उसे नगर पंचायत द्वारा भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

9— यदि कोई भवन/भू-स्वामी ऐसे मार्ग/सड़क किनारे अपने भवन का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन/रेनोवेशन कराने हेतु आवेदन करता है जिस पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई हेतु विद्युत पोल अथवा जमीन के अन्दर अपनी विद्युत लाईन बिछाई गयी है तो ऐसी स्थिति में उसे 30 प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी इसके उपरान्त ही उसे नगर पंचायत द्वारा भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

10— भवन मानचित्र की स्वीकृति की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य होगी इस अवधि में निर्माण न होने पर अंकन 1000.00 नवीनीकरण शुल्क जमा कर पुनः मानचित्र स्वीकृति करना होगा।

11— उपरोक्त भूमि/भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने अथवा किसी भी मा0 न्यायालय का प्रतिकूल आदेश होने पर मानचित्र स्वतः अस्वीकृत समझा जायेगा तथा विवाद का समाधान हो जाने पर पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

12— भवन मानचित्र की स्वीकृति को स्वामित्व से सम्बन्धित प्रमाण नहीं माना जायेगा, मानचित्र स्वीकृति के आधार पर स्वामित्व स्वीकृति की मांग नहीं की जायेगी।

13— भवन निर्माण के दौरान भवन स्वामी द्वारा यदि भवन का मलवा सड़क अथवा सार्वजनिक मार्ग पर डाला जाता है, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में उसे उस मलवे को तुरन्त हटाना होगा यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तक प्रतिदिन की दर से नगर पंचायत उससे यथोचित जुर्माना वसूल करेगी तथा मलवा हटाने पर होने वाला व्यय भी भवन स्वामी से ही वसूल करेगी।

भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु अन्य नियम व शर्तों का विवरण निम्न प्रकार होगा—

(1)— मानचित्र में उस भू-खण्ड से मिली हुयी सम्पूर्ण गलियों, सड़क की चौड़ाई परिमाण तथा आधार दर्शाना चाहिए तथा भू-खण्ड के निकट गुजरने वाले बिजली के तारों का उल्लेख भी होना चाहिए।

(2)— मानचित्र में उस भू-खण्ड की चौहद्दी भी साफ-साफ दर्शानी चाहिए अर्थात् उस भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम अथवा अन्य पहचान मानचित्र में दर्शाने चाहिए।

(3)– मानचित्र में दरवाजा/शटर, परनाले और गन्दे पानी के निकास हेतु नालियों का उल्लेख होना चाहिए।

(4)– आवासीय भवन हेतु आवश्यक सेवाओं का सही स्थापन, जैसे रसोई घर, शौचालय, स्नानागार, स्टोर आदि का स्पष्ट उल्लेख एवं कमरों के इस्तेमाल, शयन कक्ष आदि का पूर्ण विवरण मानचित्र में होना चाहिए।

(5)– भवन के भूतल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल का मानचित्र में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(6)– भवन के भूतल के अतिरिक्त द्वितीय तल तक ही निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा एवं बेसमेन्ट (तहखाना) के निर्माण हेतु भूमि तथा उसके आस-पास की भौगोलिक स्थिति के निरीक्षण उपरान्त ही मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(7)– नगर पंचायत द्वारा मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त बेसमेन्ट के निर्माण के दौरान यदि आसपास के पूर्व निर्मित भवनों को कोई क्षति पहुँचती है तब उसकी क्षतिपूर्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व भवन (बेसमेन्ट) निर्माणकर्ता का होगा।

(8)– बेसमेन्ट के निर्माण के दौरान बेसमेन्ट का प्रवेश द्वार का फर्श/पिलन्थ मुख्य मार्ग से 2.5 फिट की ऊँचाई से कम नहीं होना चाहिये।

(9)– भवन में बेसमेन्ट (तहखाना) के निर्माण हेतु मानचित्र में बेसमेन्ट का पूर्ण उल्लेख करना होगा यथा बेसमेन्ट की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई, फर्श से उसकी ऊँचाई तथा आपात स्थिति में आपातकालीन द्वार जिनका निकास निश्चित रूप से बाहर अर्थात् मुख्य मार्ग की ओर होगा।

(10)– मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलिवेशन दर्शाना चाहिए।

(11)– भवन का पिलिन्थ/फर्श भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

(12)– भवन के दरवाजों, खिड़कियों तथा वेन्टीलेटरी का प्रकार एवं माप दर्शाना चाहिए।

(13)– सामग्री का प्रकार जिससे कि बुनियाद, दीवारें, छत तथा फर्श का निर्माण होना है का उल्लेख करना चाहिए।

(14)– प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यों को विभिन्न रंगों से स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिए। जैसे प्रस्तावित हरे रंग से वर्तमान कार्य, बैंगनी रंग से परनाला, नीले रंग से नालियाँ तथा ओपेन अथवा अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग को लाल रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना चाहिए।

(15)– भवन मानचित्र में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान भी दर्शाना चाहिए।

(16)– धार्मिक स्थल यथा मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरुद्वारा तथा अन्य धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण कराने के लिये नगर पंचायत से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले आवेदन के साथ कार्यालय उपजिलाधिकारी, पलिया कलां से प्राप्त अनापत्ति संलग्न करनी होगी अर्थात् सभी धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण हेतु नगर पंचायत से स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व उपरोक्त कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(17)– यदि कोई धार्मिक स्थल यथा मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल किसी स्थान पर पूर्व से निर्मित है और उसका नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार उपयोग किया जा रहा हो तो उसकी

100 मीटर की परिधि के अन्दर नये धार्मिक स्थल के नवीन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी अर्थात् किसी भी धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि से अधिक की दूरी पर ही किसी भी धार्मिक स्थल के नवीन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(18)– भूतल पर फर्श से छत तक भवन की ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों की ऊँचाई कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

(19)– भूतल पर सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे (किवाड) भीतर (अन्दर) की ओर खुलेंगे।

(20)– भवन में लैश/लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना लैश/लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(21)– स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक/निर्माण प्रभारी या जैसी स्थिति हो से रौशनी एवं वेन्टीलेशन व शौचालय आदि की आख्या के पश्चात मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। कमरों के जंगले और वेन्टीलेशन खुले स्थान की ओर होंगे जिनका क्षेत्रफल 4X4 फीट से कम नहीं होगा।

(22)– जानवरों के बाड़े में फर्श पक्का एवं ढालदार बनाना होगा।

(23)– मानचित्र स्वीकृत करने से पहले भू-खण्ड के सम्बन्ध में राजस्व विभाग/कर विभाग से आख्या ली जायेगी।

(24)– प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाना है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा स्थान छोड़कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

(25)– शौचालय एवं गन्दे पानी के निकास हेतु ऐसा व्यक्ति जो ऐसे स्थान पर अपने भवन का निर्माण करेगा जो सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के अन्दर होगा तो उसे अपने भवन के गन्दे पानी के निकास हेतु अपने भवन की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

(26)– भवन स्वामी यदि अपने भवन का पुर्ननिर्माण अथवा रेनोवेशन कराना चाहता है तो वह भवन के मलवे (वेस्टेज सामग्री) को स्वयं ही नगर पंचायत सीमा के बाहर उचित स्थान पर डलवायेगा अगर वह ऐसा नहीं करता है अर्थात् उपरोक्त मलवे को नगर पंचायत की सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर डलवाता है तो नगर पंचायत उससे मलवे की मिकदार के आधार पर प्रतिदिन जुर्माना वसूल करेगी।

(27)– विभागीय जांच एवं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग व उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन की ओर से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त जब अधिशासी अधिकारी यह इत्मीनान कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इन नियमों से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

(28)– मानचित्र स्वीकृति के समय 10 लाख या अधिक लागत का 01 प्रतिशत उपकर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा कर चालान की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करने पर ही मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

(29)– यदि अधिशासी अधिकारी प्रस्तावित मानचित्र में कोई संशोधन करता है तो उसका कारण दोनों प्रतियों में दर्ज करेगा इसकी एक प्रति कार्यालय में रहेगी।

(30)– शासन/जिला/उच्चाधिकारियों से समय-समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

14— शुल्क उपनियम-5 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्नलिखित शुल्क अदा करना होगा—

क्रम सं०	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रुपये—	रुपये—
1	आवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	02.00	02.00
2	आवासीय भवन (ओपन एरिया)	01.00	00.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	05.00	03.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	02.00	00.00
5	वर्कशाप, फ़ैक्ट्री कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	10.00	05.00
6	वर्कशाप, फ़ैक्ट्री कारखाना आदि (ओपन एरिया)	05.00	00.00
7	भू-खण्ड/ प्लॉटिंग एरिया	01.00	00.00
8	बेसमेन्ट (तहखाना)	05.00	00.00
9	मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 1,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम देय होगा।		
10	प्लॉटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।		

नोट— शुल्क स्टेशनरी के रूप में भवन मानचित्र जमा करने के समय जमा किया जायेगा। भवन मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

1— प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2— इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लार्क का मूल्य शामिल नहीं है।

3— नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

4— नगर पंचायत द्वारा मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त भी आवेदक द्वारा मानचित्र की स्वीकृति हेतु नगर पंचायत में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अगर झूठे अथवा फर्जी पाये जाते हैं या आवेदक द्वारा नगर पंचायत को कोई गलत जानकारी दी जाती है तब मानचित्र को अस्वीकृत समझा जायेगा ऐसी स्थिति में नगर पंचायत जमा शुल्क की वापसी नहीं करेगी और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही कर सके।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 [अधिनियम-2, 1916 की धारा-299 (1)] द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत भीरा जनपद लखीमपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000/- (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 15/- (पन्द्रह रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा।

चारु

अध्यक्ष,

नगर पंचायत भीरा, खीरी।

कार्यालय नगर पंचायत, एलम, जनपद शामली

अपशिष्ट

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उप-विधि 2020

28 फरवरी, 2020 ई0

सं0 599/नं0पं0 एलम/2020-21—नगर पंचायत, एलम, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा 293 व 298 के अन्तर्गत वन-पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016" के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के किर्यान्वयन एवं विनियमन हेतु उप-विधि बनायी है। जिसके संबंध में प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। इस उप-विधि की नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा 301 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह उप-विधि ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण (Processing) एवं निपटान (Disposal) तथा स्वच्छता सम्बंधी प्रकरणों के सभी मामलों एवं वस्तुओं के विनियमन के सम्बंध में है, जो निम्नवत है—

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1)— इस उप-विधि का नाम "नगर पंचायत एलम, जनपद शामली की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता उप-विधि 2019" कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी।

(2)— यह उप-विधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेगे।

2— लागू होना— यह उप-विधि नगर पंचायत एलम, जनपद शामली (उ0प्र0) की सीमा में (भविष्य में विस्तारणा के फलस्वरूप संशोधित सीमाएँ इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बंधित व्यक्तियों पर जो नगर पंचायत एलम, जनपद शामली (उ0प्र0) की सीमा में है, पर लागू होगी।

3— इस उप-विधि में जब तक कि इस सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो उप-विधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत है—

परिभाषाएँ—

1— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में अभिकरण या अभिकर्ता— से तात्पर्य नगर पंचायत एलम, जनपद शामली द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से हैं, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीरण, संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करें।

2— "जवनाषित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिकुल वेस्ट)"— से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड-पौधे/जानवरों से अनित अपशिष्ट जैसे— अपशिष्ट, भोजन एवं फलों का अपशिष्ट, पत्तियों, बाग-बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रो आगेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

3— "जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)"— से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान कियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित है।

4— "शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य"— बायोग्रेडिबुल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा-करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबल अपशिष्ट, नॉन रि-साइक्लेबल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सैनेटरी-नैपकिन और डाइपर आदि से है।

5— "घरेलू परिसंकटमय (हार्जस) अपशिष्ट"— से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्ट जैसे— फेकें हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूब लाईट, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुइयों तथा सिरिज और संदूषित पट्टियां आदि से है।

6— "बायो-मीथेनेशन से तात्पर्य"— ऐसी प्रक्रिया से है जिससे माइक्रोबियल द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी, डी कम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है, जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

7— "द्वार-द्वार संग्रहण से तात्पर्य"— घरो दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

8— "विकेन्द्रित प्रसंस्करण"— से तात्पर्य बायोग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण के तय करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम री-साइक्लेबल सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करने से है, ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

9— "ब्राड ओनर से तात्पर्य"— ऐसे किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है, जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड बैड लेविल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

10— "निपटान से तात्पर्य"— भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट और सतही नाले की सिल्ट का अन्तिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

11— "नागर निकाय"— से तात्पर्य नगर पंचायत एलम, जनपद शामिल (उ0प्र0) से है।

12— "वृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)"— से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक संस्थानाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल के परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

13— "संग्रहण"— से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

14— "स्रोत पर संग्रहण"— से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नागर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे घेर-घर संग्रहण भी कहा जा सकता है।

15— "सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र"— से तात्पर्य किसी ऐसे भण्डारण सुविधा से है, जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अधवासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

16— "कम्पोस्ट खाद्य निर्माण से तात्पर्य"— ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अर्न्तगस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद्य निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वनस्पति खाद्य में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

17— "निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बंधी अपशिष्ट"— से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण सक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलबा और रोटी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

18— "अपशिष्ट छटाई केन्द्र"— से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि, शेड छतरी या ढांचे से है, जो किसी नागर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

19— "अपशिष्ट उत्पादक"— से तात्पर्य नागर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

20— "निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य"— किसी अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है, जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बंधी गडढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

21— "कूड़ा कचरा से तात्पर्य"— किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा, धातु आदि के टुकड़े, कागज, कपड़ा, लकड़ीखाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गई अन्य सामग्री, पदार्थ या वस्तु से है।

22— "संग्रहण"— से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहाँ पर गिराया या उतारा जाता है अथवा बहकर जाता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उसके गिरने, उतारने, बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

23— "स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह"— स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है, जो नागर निकाय द्वारा विशिष्ट मापदण्ड के आधार पर प्रभावित किये गये हो जो, इस क्षेत्र में सफाई बनाए रखने और अपशिष्ट में कमी करने पृथक्करण और पुर्नचकण के उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हो। प्रतिबन्ध यह है, कि सरकारी समितियों के निबन्धक द्वारा पंजीकृत हो और उनके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखने और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचकण भी सम्मिलित हो और नागर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

24— "मार्ग विकता (स्ट्रीट वेण्डर)"— से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खण्डजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तु माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है, जिसके अन्तर्गत फेरी वाला आदि सम्मिलित है।

25— "नगरीय ठोस अपशिष्ट"— के अन्तर्गत नागर निकाय में उत्पादित ऐसे वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में है।

26— "गैर सरकारी संगठन या स्वयं सेवी संगठन" से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत है।

27- "अध्यासी"— से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

28- "स्वामी से तात्पर्य"— ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारी का प्रयोग कर रहा है।

29- "प्रसंस्करण"— से तात्पर्य ऐसे किसी प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुर्नचकण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन लिए प्रसंस्करण हेतु अभिकियत किया गया है।

30- "पुर्नचकण"— से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

31- "कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य"— नागर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेन्सी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

32- "प्रयोक्ता शुल्क"— से तात्पर्य उस कार्य के सन्दर्भ निर्धारित यूजर चार्ज से है।

33- "पृथक्करण"— से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नामित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वष सामुहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक् करने से है।

34- "छटाई"— करने से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुर्नचकण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनः चकण सुविधा में पृथक् करना सम्मिलित है।

35- "भण्डारण"— से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कूड़ा-करकट के बिखराव, रोगषादकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

36- "परिवहन"— से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

37- "विहित प्राधिकारी"— में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

38- "अनाधिकृत स्थल"— से तात्पर्य सम्बन्धित कार्य-व्यवहार/किया के लिए अधिकृत अथवा निश्चित/निर्धारित स्थल के अतिरिक्त सभी स्थलों से है। इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बंधित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण प्रतिशेध शास्त्र एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत है—

अपशिष्ट उत्पन्नकताओं के सामान्य कर्तव्य—

2- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता—

(क)— उनके द्वारा उत्पन्न उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक् शाखाओं अर्थात् बायोग्रेडिबुल, नॉन बायोग्रेडिबुल और घरेलू हजाडर्स अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बे क्रमशः हरा, पीला एवं लाल में भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत चुनने वालो या संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख)– प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डाइपरों और स्वास्थ्यकर पैडो आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्राड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग)– अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2)– कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों न फेकेगा न जलायेगा और न गाडेगा।

(3)– सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपभोक्ता फीस का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर पंचायत को उप-विधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4)– कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा तथा इस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5)– प्रत्येक पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्य कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, पेपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उद्युक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बंधित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6)– 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर निकाय की भागीदारी में इन नियमों में, यथाविहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुर्नचककी को सौपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट जहाँ तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संसाधिक उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7)– सभी बृहद अपशिष्ट सृजक नगर निकाय की भागीदारी में इन नियमों में यथाविहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोतों पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुर्नचकणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट को उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुर्नचककों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। बृहद अपशिष्ट उत्पादक द्वारा बायोडिग्रेवल अपशिष्ट का परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ता या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

प्रतिवेध 3(1)– कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझ कर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासो कार्यों से सम्बद्ध नाली गली, गडढा सम्वातन पाईप और फिटिंगो में कोई कूड़ा कचरा या अपशिष्ट नहीं फेकेगा या फेंक पड़ेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो।

(i)– जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुँचने की।

(ii)– नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की।

(iii)– खतरनाक होने या उपताप कारित करने या जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।

2— कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उष्बन्धित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा, न ही थूकेगा, न पेशाब करेगा, न ही उसे विकृत करेगा, न पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

3— कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल का किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्ध ठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल, प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

4— कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक में करायेगा।

5— पालतू पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनका मल-मूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

6— कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नान पटों, साइनेज या मार्गदर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार गन्दगी नहीं करेगा।

7— कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्माकोल आइटम का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

8— कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पचोनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ नहीं डालेगा।

9— कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी, ड्रेनेज/सीवर सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

10— कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाई कर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुए पाया जाता है, तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बंधित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

4— नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण—

1— घरेलू अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण—

(क)— प्रत्येक सफाई कर्मी को कन्टेनर युक्त हाथ ठेला तथा एक घण्टी या सीटी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई कोट में सफाई तथा निश्चित गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा।

सफाई कर्मी घण्टी या सीटी बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य तथा निर्धारित समय अवधि में एवं यथा निर्धारित स्वरूप में करेगा।

(ख)— नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटर वाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक, घर या बीट में हॉर्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।

(ग)— किसी कारणवश उप-नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था सम्भव न होने स्वयं सेवी संगठनों अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

(घ)— भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

- 2— होटल अपशिष्ट का संग्रहण— होटल या रेस्तरा द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी।
नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।
- 3— शादीघरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण: शादीघरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकाय द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। वह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।
- 4— वद्यशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 5— औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- 6— अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसे— अनुसूची-3 में सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रों में भण्डारित किया जायेगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर में नागर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रिति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और व्यवस्था) नियमावली 2000 के अनुसार ओदशित हो।
- 7— निर्माण और ध्वस्तीकरण सम्बंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के सम्बंध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में भी पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेंगे एवं नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसके अभिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे जो उत्पादक से पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को उठाने के लिए वाहन उपलब्ध करायेगा, जिसका एक विशिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।
- 8— सभी जैव अनाशित (नान-बायोडिग्रेडेबुल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा, जिसकी व्यवस्था नगर निकाय या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट के संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेन्स प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्र को दिया जायेगा। चिथडा बिनने वाली सहकारी संस्थाओं, लाइसेन्स प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाडियों को, अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाइसेन्स प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची-2 में दी गयी है।
- 9— उद्यान और बागवानी अपशिष्ट को प्रारम्भिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहाँ स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना सम्भव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।
- 10— आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथ ठेला गाडियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।
- 11— किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

5— नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण—

(1)— प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादन स्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक् करेगा।

- 1— जैव नाशित (बायोग्रेडिबुल) अपशिष्ट।
- 2— जैव अनाशित (नॉन-बायोग्रेडिबुल) अपशिष्ट।
- 3— जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट।
- 4— घरेलू परिसंकटमय (हार्जर्ड्स) अपशिष्ट।

(2)— पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जन-जागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन-कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों कक्ष समितियों तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

6— नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण—

1— नगर निकाय नगरीय अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

2— भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

3— भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहाँ किसी प्रकार का अप्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

4— नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके अतः वह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

5— जहाँ किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हो, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाना हो, वहाँ ठोस का पृथक्-पृथक् किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7— सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र— अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबंधित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा। जहाँ से नगर निकाय द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

8— ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था— नागर निकाय इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र अपशिष्ट छटान केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहाँ कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी, जिससे संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

9— सुविधा और सहायता उपलब्ध करना— अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विशेषज्ञों, लाईसेन्स प्राप्त कबाडियों, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट का पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नम्बर नागर निकाय के

सम्बंधित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगे। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बंध में प्रशिक्षण, दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

10— कूड़ा-कचरा निस्तारण प्रभारक लगाया जाना— नगर निकाय होटलों, रेस्तराँ और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा-कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक— सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा।

11— कम्पोस्ट खाद का बनाया जाना— अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनाये और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेड़ों और आस-पास के पेड़ों में डाले। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद का नागर निकाय विनिर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

12— नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण—

(1)— जहाँ कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, कीड़ा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नागर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाईयां (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाईयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों, अभिकर्ताओं, व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थाने स्थानीय समुदाय के लिए नमूनों का दर्पण करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2)— नागर निकाय नदियों, झीलें, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रीयों (फूल-पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों में इकट्ठा करने हेतु या ते स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाईयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3)— अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बंधित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात उदगम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करें।

(4)— नागर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के यथा आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुर्नचक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिए समुचित न हो डाला जायेगा।

(5)— पुर्नचक्रण योग्य अपशिष्टों में पुर्न: चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

13— नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन— अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहाँ नागर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी को दिये जाने के लिए एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कुड़ा गाड़ी की सेवाये नागर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कुड़े को इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढका रहेगा।

14— स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण— भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नागर निकाय की गाड़ीयों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसे अधिसूचित किया जाये।

15— सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र— आपवादिक मामलों में जहाँ स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण के स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो, वहाँ नागर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सडकों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहाँ आवश्यक और सम्भव हो, रख-रखाव किया जायेगा। जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

16— अपशिष्ट छटाई केन्द्र— पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधा पूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और सम्भव हो।

ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नागर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्ग निकायों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रिसाईक्लर्स या नागर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

छटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसा अपशिष्ट छटनी केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

17— समय-सारिणी तथा एकत्रीकरण का मार्ग— नगरीय ठोस अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय सारिणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बंधित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगा।

18— स्थानीय नागरिक समूह— स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागर समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकेंगे। सडकों की सफाई, कूड़े के एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिए निर्धारित इकाई दरों पर नागर निकाय या स्वामियों या अधिवासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया मॉडल उप-विधियां तथा स्थानीय नागरिक समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु मॉडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पंचायत की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

19— सफाई अभियान— उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिए आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाये और जहाँ स्थानीय अध्यक्ष सभासद या सदस्य या नागरिक सहयोग के लिए आगे आते ही सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

20— जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण— अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नागर निकाय कर्मों और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों, कार्यालय संकुलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनिटों, सकल एरिया सिटीजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सब की शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिए एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नागर निकाय के कक्ष समेतियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

21— अपशिष्ट प्रबंधन के जन-सहभागिता को प्रोत्साहन— जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबंधन के सर्वोत्तम कार्यों के लिए नागर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा (इसकी सूचना और विवरण निकाय के कार्यालयों तथा नागर निकाय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे)।

22— शिकायतों का निस्तारण— नागर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु कम्पोस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम को संचालित करेंगे या एक समुचित नया ऑनलाईन कम्प्लेण्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आकड़े आनलाईन ग्रीवान्स मैनेजमेन्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0) सिटीजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

23— नागरिकों की सफाई टीम— अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रुचित एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छताग्राही नामित कर सकता है। सम्बंधित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों का नागर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा, ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की साफ-सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नागर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24— रूचि की अभिव्यक्ति— किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़ा के पृथक्करण, पुनरावर्तन या कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं को स्थापना कम्पोस्टिंग, वमी कम्पोस्टिंग बायो मिथेनीकरण आदि की अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जायेगी। रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सनो आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नागर निकाय द्वारा किया जायेगा।

25— आकस्मिक निरीक्षण— अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नागर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने वार्डों के विभिन्न मार्गों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जांच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्गस्त व्यय उल्लंघनकता से वसूला जायेगा।

26— नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व—

(1)— मलिन बस्तियों की सफाई के सम्बंध में दायित्व—

(क)— अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जहाँ-जहाँ भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आये, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने के अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे।

(ख)— जहाँ आवश्यक हो नागर निकाय की गडी पृथकीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग)— अपवादिक मामलों में जब तक गाडी की सेवायें तत्समय-सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नागर निकाय द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान के व्यवस्था की जायेगी। जहाँ कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहाँ से नागर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2)— मुर्गीपालन, मछली और बूचडखाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व— चिन्हित बूचडखाने और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहदि का स्वामी य अध्यासी जो मुर्गी, मछली और बूचडखाना अपशिष्ट को किसी व्यवसायिक गतिविधि के

फलस्वरूप उत्पन्न करता है, ढकी हुई, स्वच्छ, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नागर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुँचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट जमा करना निषिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित का भागी होगा।

(3)– ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व— प्रत्येक ठेले वाले या फेरी वाले सामान बेचने की गतिविधियाँ से उत्पन्न किसी भी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ादान रखेगा। सम्यक रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट नागर कूड़ा गाड़ी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण तक पहुँचाने का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4)– नाली सफाई का दायित्व घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि घर की नली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नागर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नागर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुँचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर जहाँ ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नागर निकाय की सेवाये प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो उसे नागर निकाय से सम्बंधित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नागर निकाय द्वारा यथा निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई करायी जा सकेगी।

(5)– पालतू पशु स्वामी का दायित्व किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतू पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6)– सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस, प्रदर्शनी, सर्कस, मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यवसायिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन इत्यादि शामिल हैं) के लिए जिसमें पुलिस और/या नागर निकाय की अनुमति अपेक्षित है, समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें।

नागर निकाय द्वार यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए सम्बंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7)– निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्य कर, नैपकिनों और डाईपर के निनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य—

(1)– निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन. कॉच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगें।

(2)– गैर नान-बायोडिग्रेडबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

(3)– स्वास्थ्य कर, नैपकिनों तथा डाईपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुर्नचकण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्मायता का पता लगायेगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन या डाईपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रेपर उपलब्ध करायेगें।

(4)– ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटनें और उनका निस्तारण करने के सम्बंध में लागों को जानकारी दी जायेगी।

27– नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निकाय निश्चित करती है कि इस उप-विधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के पुष्टीकरण करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

28– अपराधि का प्रशमन– इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न सूची-1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है, और जहाँ अपराध का इस प्रकार प्रशमन।

(क)– अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है, वहाँ अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतन्त्र कर दिया जायेगा।

(ख)– अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है, वहाँ प्रशमन से अपराधी दोषगुक्त हो जायेगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृक्षा पर अपना नामव पता घोषित करना अनिवार्य होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

प्रनसूची-1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि-2020

प्रशमन-शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्रम सं०	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	प्रत्येकवार पुनः उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर पंचायत द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रुपये		रुपये
1	व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी—	500	प्रशमन शुल्क का दोगुना।	शून्य
	1— अपशिष्ट फैलाना/फेकना			
	2— थूकना			
	3— मूत्र विर्सजन करना			
	4— जानवरों/चिड़ियों की अनिदिष्ट स्थान पर खिलाना			
	5— वाहनों की धुलाई			
	6— कपडा धोना			
	7— सार्वजनिक स्थान नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना			

1	2	3	4	5
		रुपये		रुपये
2	मार्ग, पार्क, घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	1000	—	1,000
3	घाटो, सीढ़ियों, सड़को के डिवाइडर, नामपटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपका कर या अन्य प्रकार से गन्दगी करने/कराने पर	500	—	1,000
4	पालतु पशु को खुला छोड़कर मागों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मल-मूत्र से गन्दगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर	500	—	1,000
5	नाले/नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर।			
6	(क) घरेलू पालक (5 जनवरी तक)	1,000	—	5,000
	(ख) व्यवसायिक पालक (5 जनवरी से अधिक)	5,000	—	10,000
	डस्टबिल/स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना	500	—	शून्य
7	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थान पर धुलाई	500	—	शून्य
8	किसी परिसर में 24 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना	500	—	शून्य
9	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण	1,000	—	शून्य
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना—			
	(क) उबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500	—	शून्य
	(ख) दुकान/बूथ	500	—	शून्य
	(ग) मॉल/मल्टीप्लेक्स/शॉपिंग आर कैड/होटल	5,000	—	शून्य
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000	—	शून्य
11	प्रतिबन्धित पॉलीथीन/थर्माकोल आईटम्स का उत्पादन, विवरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर मात्रा के अनुसार			
(क)	पॉलीथीन, कैरीबैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तुओं की		प्रशमन शुल्क का दोगुना।	शून्य
	1. 100 ग्राम तक	1,000	—	
	2. 101 ग्राम से 500 ग्राम तक	2,000	—	
	3. 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक	5,000	—	
	4. 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक	10,000	—	
	5. 5 किलोग्राम से अधिक	25,000	—	

1	2	3	4	5
		रुपये		रुपये
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक का दोगुना प्रतिष्ठान/शैक्षणिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/ रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सडकों, नागों, नालो, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना, व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/मिष्ठान दुकानों /ढाबों	25,000	प्रशमन शुल्क का दोगुना।	शून्य
(ग)	औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सडकों, मागगों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000	—	—
12	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिना में रखे हुए कूड़े का सौपना—			
	(क) व्यक्तिगत भवन	500		
	(ख) दुकान/बूथ	500		
	(ग) मॉल/मल्टीप्लेन्स शॉपिंग/शॉपिंग आर कैड/होटल/मैरेज पैलेस	5,000		
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000		
	(ङ) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000		
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000		
13	वृहद अपशिष्ट (100 केलोग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना	5,000 प्रतिमाह	10,000 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
14	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डमप करने पर	2,000	4,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य-अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डमप करने पर	5,000	10,000	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

1	2	3	4	5
		रुपये		रुपये
16	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करा रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000	2,000	
17	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000	2,000	
18	निर्माण और उहाने के अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर—			
	(क) आवासीय (प्लॉट/प्लैट/आवास)	500	कॉलम नं0-3	प्रशमन शुल्क
	(ख) दुकान/बुथ	1,000	के दोगुनी	एवं अपशिष्ट के
	(ग) व्यवसायिक/संस्थागत/औद्योगिक/अन्य	2,000	राशि	परिवहन का
				वास्तविक व्यय
19	शुष्क अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवर न करने पर	500	500	
20	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छटाई के कूड़े की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000	2,000	1,000
21	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर	500	1,000	
22	खुले में शौच करने पर	500	1,000	
23	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सडकों/पार्कों में फेकना	500	1,000	
24	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गी और अपशिष्ट की यथा निर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500	1,000	
25	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए	100	200	
26	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए	500	1,000	
27	घर की नाली नहीं बनाने के लिए	1,000	2,000	
28	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए	5,000	10,000	सफाई करने पर आने वाले वास्तविक-व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपॉजिट जमा कर लेना।

नोट—

1— उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्ज के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि हो जायेगी।

2— अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/थर्माकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति अधिशासी अधिकारी को की जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3— यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है, तो वे उसकी रिपोर्ट निकाय के अधिकारी को उसके अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

अनुसूची-2**जैवनाशित और पुनचक्रीय अपशिष्ट की सूची**

जैवनाशित अपशिष्ट	पुनचक्रीय अपशिष्ट
जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।	पुनचक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है, जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नही भी हो सकता है।
रसोईघर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।	समाचार पत्र
मॉस और हड्डियाँ	कागज, पुस्तक, पत्रिका में।
उद्यान व पत्तियों का कूड़ा-करकट जिसमें फूल भी हैं।	शीशा
पशुओं का कूड़ा-करकट, गोबर	धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक
सफाई के बाद घर की गन्दगी	फटे कपड़े
नारियल के छिलके	चमड़ा
राख	रैक्सीन
अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	रबर
	लकड़ी/फर्निचर
	पैकिंग के समान

अनुसूची-3**जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची**

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट— जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बंधी शोध कार्यों के दौरान या जीव-विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1— धारदार अपशिष्ट— सुईया, सिरिज, धुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिससे छेद या कटाव हो सकता है, इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों हैं।

2— बेकार दवाईयों और साइटोटाक्सिक औषधियां— अवसान तिथि के बाद दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट।

3— ठोस अपशिष्ट— रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रुई पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची-4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज—

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिशत
1	2	3
		रुपये—
श्रेणी-क	गृहकर के छूट वाले परिवार	20 प्रतिमाह
श्रेणी-ख	50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई	30 प्रतिमाह
श्रेणी-ग	50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक तथा 100 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक	50 प्रतिमाह
श्रेणी-घ	100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक व 200 वर्ग मी0 तक आवासीय इकाई	80 प्रतिमाह
श्रेणी-ङ	200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाई	100 प्रतिमाह
श्रेणी-च	हाउसिंग सोसाइटी अपार्टमेन्ट प्री0 फ्लैट	30 प्रतिमाह
श्रेणी-छ	यात्री धर्मशालायें/धर्मचाला	30 प्रतिमाह
आवासीय व्यवसायिक		
श्रेणी-क	100 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक दुकानें	50 प्रतिमाह
श्रेणी-ख	100 वर्ग फिट से 200 वर्ग फिट क्षेत्रफल की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ग	200 वर्ग फिट क्षेत्रफल से अधिक की दुकानें	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी-घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र एवं छात्रायें	150.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रुपये—
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र एवं छात्राओं तक	300.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 500 से ज्यादा छात्र एवं छात्राओं तक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ड	इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, मैनेजमेन्ट कॉलेज एवं प्राइवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कॉलेज, सेन्टर मापिंग कम आफिस काम्पलेक्स प्राइवेट शिक्षण संस्थायें, प्राइवेट हास्टल	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी-च	बैंक कार्यालय, एल0आई0सी0 कार्यालय, मैरिज होम, बैक्वट हॉल, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी-छ	मॉल्स, क्लब, होटल 10 कमरों से अधिक	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी अस्पताल	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी-झ	प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बेड तक)	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी-	प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि (20 बेड से अधिक)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ट	पैथोलोजी लैब	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ठ	क्लीनिक	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ढ	दवाईयों की दुकान	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ण	रिटेल चौन्स (जैसे-बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, मैट्रो रोड साइट, वैन्डर (वैन्डर जोन सहित))	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी-त	रोड-साइड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	5.00 प्रतिदिन
श्रेणी-थ	रोड साइड फास्ट, फूड कॉर्नर चाय/जूस की दुकान व चाट हाऊस आदि	10.00 प्रतिदिन
श्रेणी-द	गोदाम एवं वेयर हाऊस 1000 वर्ग फिट	250.00 प्रतिदिन
श्रेणी-ध	गोदाम एवं वेयरहाऊस 100 वर्ग फिट से 5000 वर्ग फिट तक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी-न	शराब की दुकानें	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी-प	हार मार्केट, साप्ताहिक बाजार	25.00 प्रति स्टॉल
श्रेणी-फ	शोरूम, सर्विस सेन्टर व छोटे गैराज	200.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रुपये—
श्रेणी-ब	प्रदर्शनी, ग्राउण्ड मेला	100.00 प्रतिदिन
श्रेणी-भ	छोटे और कुटीर उद्योग कार्यशालायें (केवल गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 किग्रा0 अपशिष्ट	150.00 प्रतिमाह
श्रेणी-म	प्रिंटिंग प्रेस	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी-य	पेट्रोल पम्प	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी-र	ऐसे भवन जिसमें पालतू पशु (भैंस, गाय, भेड़े, बकरी, सूअर आदि) पाल रखे हो, जिनका व्यवसायिक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा	20.00 प्रतिमाह
श्रेणी-ल	अन्य जो उपरोक्त में छूट गया हो	जो नगर पंचायत एलम द्वारा निर्धारित किया जाये।

नोट—

1— प्रायोक्ता-शुल्क भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गई दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन-शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2— यदि कोई उपभोगता एक वर्ष का प्रायोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है, तो 01 माह के प्रायोक्ता-शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3— विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में निवास करती हो) प्रायोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत एलम, जिला— शामली (उ0प्र0) से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

4— वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान में निवास करता हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रायोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पंचायत, एलम, जिला शामली से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5— जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेगे। इनका निस्तारण जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अन्तर्गत होगा।

6— प्रायोक्ता-शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में नगर पंचायत, एलम (शामली) द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, एलम (शामली) में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत एलम,
जिला शामली।

सूचना

सूचित किया जाता है कि M/s KRYSTAL INTERNATIONAL, House No-7, 16/80 Civil Lines. Kanpur Nagar 208001 के पार्टनर Abhishek Mittal S/o Ashok Kumar Mittal R/o F-102, Shanti Kunj Apartment, 14/73 Civil Lines Kanpur-208001 अपनी स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म से दिनांक 26 अगस्त, 2025 से रिटायर्ड हो गये है। वर्तमान में फर्म में दो साझीदार Mrs. Mamta Mittal एवं Anshita Mittal शेष है। पार्टनरशिप डीड दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से फर्म की साझीदारों की स्थिति निम्नवत होगी:-

1-Mrs. Mamta Mittal W/o Ashok Kumar Mittal R/o F-102, Shanti Kunj Apartment, 14/73 Civil Lines Kanpur-208001.

2- Mrs. Anshita Mittal W/o Abhishek Mittal R/o F-102, Shanti Kunj Apartment, 14/73 Civil Lines Kanpur-208001.

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ममता मित्तल,
साझीदार
M/s KRYSTAL INTERNATIONAL,
House No-7, 16/80 Civil Lines.
Kanpur Nagar 208001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या गोस्वामी पुत्री राजकुमार गोस्वामी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4584 7673 6885 में उसका नाम शगुन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या गोस्वामी पुत्री राजकुमार गोस्वामी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजकुमार गोस्वामी,
पुत्र स्व0 शिवनाथ गोस्वामी,
पता-30 सफेदाबाद, नवाबगंज,
सफेदाबाद, बाराबंकी उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रुही गुप्ता (RUHI GUPTA) पुत्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7978 5973 2047 में उसका नाम शैली (SHALLI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रुही गुप्ता (RUHI GUPTA) पुत्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पुत्र राम सुभग गुप्ता,
निवासी- राम जानकी मन्दिर,
पोस्ट बड़नी, बरहनी सिद्धार्थ नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुहानी पुत्री संतोष कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4155 6256 9001 में उसका नाम मेन्शी कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुहानी पुत्री संतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष कुमार,
पता— मंडौर, जगतपुर जैतपुर,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद मेहदी रज़ा पुत्र सैय्यद औन मोहम्मद है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—5835 7031 5428 में उसका नाम सैय्यद मोहम्मद मेहदी रज़ा जैदी पुत्र सैय्यद औन मोहम्मद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में उसे मोहम्मद मेहदी रज़ा पुत्र सैय्यद औन मोहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मिदहत फात्मा पुत्री मुस्लिम अब्बास,
निवासी- संगत किला, महमुदाबाद,
सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम देवान्शी गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—8708 5195 0191 में उसका नाम माहिरा गुप्ता अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम देवान्शी गुप्ता पुत्री प्रशांत गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रशांत गुप्ता,
18 चक, जीरो रोड, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सोनी पुत्री राकेश कुमार पाल है जो कि उसके समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड सं0—2973 8447 3948 में उसका नाम नीरूपमा पाल अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है, और गलत है। अतः मेरी पुत्री को सोनी पुत्री राकेश कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विजमा देवी, पत्नी राकेश कुमार पाल,
निवासिनी—रनिहापर, मजरा दरियापुर,
परगना व तहसील—चायल,
जनपद—कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम इशांत शुक्ला (ISHANT SHUKLA) पुत्र आशीष कुमार शुक्ला है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—5632 6111 1994 में उसका नाम शान शुकला (SHAN SHUKLA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम इशांत शुक्ला (ISHANT SHUKLA) पुत्र आशीष कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीष कुमार शुक्ला,
पुत्र सतीश चन्द्र शुक्ला,
निवासी— मधुवन लेन सदर बाजार,
अजीत नगर, पर0 व तह0 सदर,
जनपद—प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिद्धार्थ यादव (SIDDHARTHA YADAV) पुत्र राजनाथ यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-5620 0629 4061 में मेरा नाम सिद्धार्थ यादव हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिद्धार्थ यादव (SIDDHARTHA YADAV) पुत्र राजनाथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सिद्धार्थ यादव,
पुत्र राजनाथ यादव,
पता-सिहुलिया, कटारी, चोलापुर धरसौना,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रणाली सिंह पुत्र लोकेश सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-5308 9761 4620 में उसका नाम सांभवी सिंह अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रणाली सिंह पुत्री लोकेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लोकेश सिंह,
ग्राम-भीखापुर कानीडीह,
डेरवा, तहसील कुण्डा, जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कशिश तिवारी पुत्री अशोक तिवारी है

जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-4366 2786 5890 में उसका नाम प्रिया तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कशिश तिवारी पुत्री अशोक तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशोक तिवारी,
पुत्र राममूर्ति तिवारी,
निवासी-उचौरा, शम्भूगंज, जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्वाति निषाद पुत्री मनोज कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-7560 9901 7311 में उसका नाम हर्षिता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम स्वाति निषाद पुत्री मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मनोज कुमार,
पता-1378/1001 मीरागली,
दारागंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो अरकम (Mo Arkam) पुत्र इस्तखार अहमद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5558 7861 8157 में उसका नाम मो अकरम (Mo Akram) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो अरकम (Mo Arkam) पुत्र इस्तखार अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

निशात उजमा,
पत्नी इस्तखार अहमद,
निवासी-धौरूआ अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अगस्त्य कुमार द्विवेदी पुत्र मनीष कुमार द्विवेदी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8943 7237 8001 में उसका नाम अंश द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अगस्त्य कुमार द्विवेदी पुत्र मनीष कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मनीष कुमार द्विवेदी,
कोटघाट कॉलोनी, नारघाट, मिर्जापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश पाण्डेय पुत्र गिरिधर गोपाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9384 4579 4238 में उसका नाम ओम नारायण पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांश पाण्डेय पुत्र गिरिधर गोपाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गिरिधर गोपाल, पुत्र अशर्फी लाल,
मं0स0- 305 बड़नपुर, कादीपुर,
इथौली, मंझनपुर, कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आशीष शुक्ल पुत्र मदन मोहन शुक्ल है जो कि मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों एवं आधार कार्ड सं0-4579 0256 0296 में अंकित है। सुबोधानन्द फाउण्डेशन के अध्यक्ष स्वामी ध्रुव चैतन्य जी से दीक्षा प्राप्त करने के उपरान्त मेरा नया नाम विश्वज्ञानन्द हो गया है। भविष्य में मुझे आशीष शुक्ल पुत्र मदन मोहन शुक्ल के स्थान पर मेरे नये नाम विश्वज्ञानन्द संरक्षक ध्रुव चैतन्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आशीष शुक्ल पुत्र मदन मोहन शुक्ल,
निवासी-127/150, यू0 ब्लॉक,
निराला नगर, जूही कॉलोनी, कानपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम क्रियांश पुत्र उमेश कुमार श्रीवास्तव है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड सं0-7849 9721 9116 में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श अनुसार उसका नाम क्रियांश से बदल कर अद्विक श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अद्विक श्रीवास्तव पुत्र उमेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उमेश कुमार श्रीवास्तव,
पता- डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अकबरपुर,
अम्बेडकर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्रांश गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2502 2931 2572 में उसका नाम रुद्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्रांश गुप्त पुत्र सन्तोष कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सन्तोष कुमार गुप्ता,
ग्राम ईश्वरपुरा गोठहुली पो0 जिराबस्ती,
जिला व तहसील बलिया उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चन्द्रकली पुत्री शंकरलाल पत्नी धर्मेन्द्र कुमार पटेल है, जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपना नाम चन्द्रकली से बदलकर चन्दा पटेल रख लिया है। भविष्य में मुझे चन्दा पटेल पुत्री शंकर लाल पत्नी धर्मेन्द्र कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्रकली पुत्री शंकरलाल,
पत्नी धर्मेन्द्र कुमार पटेल,
नि0- ग्राम बकुलिया, पोस्ट-माण्डा,
तहसील-मेजा, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स न्यू लाइट ओवरसीज पता- ग्राम ईशापुर, धौराटांडा,

जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243202 जिसकी पंजीकरण सं0-B-14617 में दिनांक 09 सितम्बर, 2025 को साझेदार श्री लईक अहमद पुत्र श्री अब्दुल रउफ व श्री खतीब अहमद पुत्र श्री अब्दुल रउफ स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात लईक अहमद व खतीब अहमद का फर्म पर व फर्म का लईक अहमद व खतीब अहमद पर कोई शेष बकाया नहीं है व दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को अन्य साझेदारों की सहमती व अपनी इच्छा से श्रीमती किशवर जहां पत्नी श्री अब्दुल वकील व श्रीमती शाहीन बी पत्नी श्री लईक अहमद फर्म में नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुई वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल छः साझेदार क्रमशः 1- जुल्फिकार अहमद 2- मो0 शाहिद 3-मो0 कलीम 4-अब्दुल वकील 5-किशवर जहां 6-शाहीन बी है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जुल्फिकार अहमद,
साझेदार,
मेसर्स न्यू लाइट ओवरसीज
पता- ग्राम ईशापुर, धौराटांडा,
जिला बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की फर्म मेसर्स वैगमिन इंटरप्राइजेज, पता-4, मारवाडी गंज अपोजिट देना बैंक बरेली उत्तर प्रदेश 243005 जिसकी पंजीकरण सं0-BAR/0012482 (रजि0 दिनांक 05 जुलाई, 2022) है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र श्री अमृत लाल निवासी सिविल लाइन्स साउथ राजाबाग कॉलोनी पीलीभीत उत्तर प्रदेश 262001 दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को स्वेच्छा से रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार का कोई बकाया शेष नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल चार साझेदार क्रमशः 1- संदीप झावर पुत्र श्री नन्द लाल झावर, 2-परेश कुमार अग्रवाल पुत्र

श्री नीलेश कुमार अग्रवाल, 3- पंकज गोयल पुत्र श्री देवी प्रसाद गोयल 4-सक्षम गोयल पुत्र श्री योगेश कुमार गोयल साझेदार है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संदीप झांवर,
साझेदार,
मेसर्स वैगमिन इंटरप्राइजेज,
पता-4, मारवाडी गंज अपोजिट,
देना बैंक बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम फीमा (FIMA) पुत्री सलीम अहमद है

जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9719 1520 9133 में उसका नाम आइशा (AAISHA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम फीमा (FIMA) पुत्री सलीम अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सलीम अहमद
पुत्र अब्दुल रउफ
निवासी-अहमदपुर
असरौली, प्रयागराज।